HIGH COURT OF MADHYA PRADESH: BENCH AT INDORE

FORM –'D'

REJECTION ORDER

(See Rule 4(2))

No.RTIA/JR(M)-HCIND/ 1267 **Indore, Dated 25.04.2022**

प्रेषक :

ज्वाईंट रजिस्ट्रार (एम),
राज्य लोक सूचना अधिकारी,
मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय,
खण्डपीठ, इन्दौर (म.प्र.)

प्रति,

श्री सूरज हटकर पिता श्री भीमसेन हटकर C/o. मनोज केवट,
पता– शांतिनगर 159 महूगांव तहसील महू (अंबेडकर नगर)
जिला–इन्दौर (म.प्र.), मोबाईल नंबर–9753949051

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचनाओं को प्रदान के संबंध में अधिसूचना को संबोधित करने के लिए कृपया आपका आवेदन जो कि हमारे आवक क्रमांक 1301 दिनांक 23/04/2022 के माध्यम से प्राप्त हुआ होकर आई.डी. संख्या 24/2022–2023 दिनांक 23/04/2022 में पंजीकृत है देखें।

आपके द्वारा संदर्भित आवेदन पत्र अंतर्गत निम्नलिखित जानकारी चाही गयी है:–

"1. मुझे मेरे प्रकरण क्रमांक W.P. 3932/2022 में आज दिनांक तक किस तरह के आदेश/निर्णय किये गए उसकी सम्पूर्ण जानकारी देने का कष्ट करें।"

आपके द्वारा चाही गयी जानकारी निम्नलिखित कारणों से प्रदान नहीं की जा सकती है :–

1. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 28 (1) के तहत मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के सक्षम प्राधिकारी ने उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश नियम (सूचना का अधिकार) 2006 घटित किया है जिसके नियम 7 (1) के अनुसार एक नागरिक आवेदन को 50/– रू शुल्क का भुगतान गैर न्यायिक स्टाम्प या ट्रेजरी चालान–रूप में तथा फॉर्म "ए" पर आवेदक की स्वयं की साक्षांकित तस्वीर चिपकाना आवश्यक है लेकिन आपने फॉर्म नंबर "ए" में आवेदन नहीं प्रस्तुत किया है और आप फॉर्म "ए" में तस्वीर प्रमाणित करने में भी विफल रहे है। आपके द्वारा भारतीय गैर–न्यायिक स्टाम्प रू 50/– नं. AV 727969 प्रस्तुत किया हैं जो कि मूलतः ही आपको वापिस किया जा रहा हैं।
2. The High Court of Madhya Pradesh [Right to Information] Rules, 2006 के नियम 8 (1) के अनुसार लोक सूचना अधिकारी न्यायिक प्रकरणों से संबंधित ऐसी जानकारी प्रदान करने के लिये जबाबदेय नहीं है जो The High Court of Madhya Pradesh Rules, 2008 के Chapter-XVIII अंतर्गत आवेदक द्वारा न्यायालय की प्रतिलिपि शाखा (Copying Section) से प्राप्त की जा सकती हैं।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 के अनुसार अपीलीय अधिकारी (प्रिंसिपल रजिस्ट्रार – न्यायिक), म.प्र. उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर के समक्ष इस आदेश के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अन्दर अपील प्रस्तुत कर सकते हैं।

संलग्न– रू 50/– का मूल भारतीय गैर–न्यायिक
स्टाम्प नं. AV727969

25.04.2022

(राजेश कुमार शर्मा)
लोक सूचना अधिकारी सह ज्वाईंट रजिस्ट्रार (एम),
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर

O/C